रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 262] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 20, 2000/कार्तिक 29, 1922
No. 262] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 20, 2000/KARTIKA 29, 1922

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2000

विषय : परिधान एवं निटवियर-निर्यात हकदारी (कोटा) नीति-(2000—2004) उन देशों के संबंध में जहां ऐसे निर्यात वस्त्र एवं क्लोदिंग पर करार के उपबंधों के अंतर्गत प्रतिबंधों के अधीन हैं।

सं. 1/133/2000-निर्यात-I.— उपर्युक्त विषय पर दिनांक 12 नवंबर, 1999 की अधिसूचना सं0 1/28/1999 निर्यात-1 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसका बाद में दिनांक 10 दिसंबर, 1999, तथा फरवरी, 2000 की समसंख्यक अधिसूचनाओं और दिनांक 13 जून, 2000 की अधिसूचना सं0 1/68/2000 द्वारा संशोधित किया गया है । अधिसूचना को निम्नानुसार संशोधित करने का निर्णय लिया गया है :-

2. उप-पैरा 12(1) के स्थान निम्नलिखित स्थापित किया जाए :-

(I) " ई.एम.डी. को साधारणतया डिमांड ड्राफ्ट, ए.ई.पी.सी. की एकपक्षीय भुगतान योग्य एफ.डी.आर., अथवा बैंक गारण्टी द्वारा प्रस्तुत किया जाऐगा । हालांकि, निम्नलिखित अनुबंधित शर्तों के आधार पर 'एफ. सी. एफ. एस. ' के अतिरिक्त अन्य प्रणालियों में 31.12.2001 तक ' ई.एम.डी. ' के रूप में उत्तर दिनांकित चैक अथवा वैद्यानिक आश्वासन को भी स्वीकार किया जाएगा । "

3. उप-पैरा 12(II) से (V) के स्थान पर निम्नलिखित को स्थापित किया जाऐ : -

वैद्यानिक आश्वासन (एल.यू.टी.)/ उत्तर दिनांकित चैक (पीडीटी) :

(II) ऐसे निर्यात सदन/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन/सुपर स्टार व्यापार सदन / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / विनिर्माता निर्यातक इस आवंटन नीति अथवा पूर्व आवंटन नीति (1997-99) के तहत अपवर्तन आदेश के द्वारा दंडित नहीं किया गया हो और जिसके पास पी.पी.ई., एन.क्यू.ई. तथा एन.आई.ई.प्रणालियों (पी.पी.टी., एन.क्यू.टी. सहित) के तहत सभी देशी-वर्गों की समग्र हकदारी 25,000 अदद से अनधिक हो वह निम्नलिखित शर्तों के आधार पर समय बढ़ाने व पुनः वैधता के लिए ई.एम.डी./बी.जी. के स्थान पर एल.यू.टी./पी.डी.सी. प्रस्तुत कर सकते हैं :-

(क) यदि महानिदेशक ए.ई.पी.सी., एल.यू.टी. द्वारा कवर की गयी हकदारी से संबद्ध किसी अपवर्तित राशि के लिए निर्यात हकदारी नीति संबंधी कोई दावा /मांग करते हैं तो वह निर्यातक को जिसमें एल.यू.टी. प्रस्तुत की है, आपत्ति व विरोध किये बिना ऐसे दावे की तिथि से 90 दिन की अवधि के भीतर महानिदेशक] ए.ई.पी.सी. द्वारा मांगी गयी ऐसी राशि को सौंपना होगा । ऐसा करने में असमर्थ होने पर निर्यातक जब तक यह राशि सौंप नहीं देता है और महा निदेशक एईपीसी, उस निर्यातक की इन सुविधाओं को पुनः स्थापित करने का निर्णय नहीं ले लेते, तब तक किसी भी शिपिंग बिल का प्रमाणीकरण प्राप्त करने, किसी भी प्रणाली के ई.एम.डी./बी.जी. की वापसी या हकदारी के अंतरण के लिए आवेदन करने का पात्र नहीं होगा ।

(ख) एल.यू.टी./पी.डी.सी. की सुविधा उन्हीं निर्यातकों को उपलब्ध होगी जो 90 दिन की अनुबंधित अवधि के भीतर एल.यू.टी. के तहत कवर की गयी अधिग्रहित राशि को सौंप देते हैं अथवा उनके द्वारा दिए गए उत्तर दिनांकित चैक जो कि किसी कारण से अस्वीकृत नहीं होते हैं अथवा जिन्होंने अपील फाइल की हो तथा बी.जी./एफ.डी.आर./मांग-पत्र की राशि के बराबर जमा कराने के बाद स्थगन प्राप्त कर लिया हो, अथवा अपील का निर्णय अपने पक्ष में प्राप्त कर लिया हो ।

(III) यदि किसी कारण से जमा कराने पर उत्तर दिनांकित चैक अस्वीकृत हो जाते हैं तो ऐसे चैकों के आधार पर बढ़ाई गयी मात्राओं को संबद्ध निर्यातक की वर्तमान अथवा भविष्य की किसी भी हकदारी के नामे डाल दिया जाएगा और उसे वर्तमान अथवा भविष्य में तब तक कोई भी हकदारी आवंटित न की जाएगी जब तक कि अपवर्तन के तहत कवर की गयी राशि को मांग-पत्र के माध्यम से सौंप नहीं दिया जाता है ।

(IV) उत्तर दिनांकित चैकों पर आवंटन के वर्ष के बाद के वर्ष की पहली जून की तिथि अंकित होनी चाहिए तथा वह उस तिथि से छः माह की अवधि के दौरान प्रस्तुत किये जाने के लिए वैध होगा ।

(V) एल.यू.टी./पी.डी.सी. को जारी /अपवर्तित करने से संबंधित शर्त वहीं होगी जो कि ई.एम.डी./बी.जी. के अन्य रूपों पर लागू हो ।

4. निम्नलिखित उप-पैरा 16 (XI) को उप-पैरा-16 (X) के पश्चात जोड़ा जाए :-

" इस पैरा के तहत अपीलों को केवल तभी दायर किया जाएगा जबकि संबद्ध निर्यातक, अपवर्तन की राशि को बी.जी. अथवा एफ.डी.आर. अथवा मांग-पत्र द्वारा कवर करता है । एल.यू.टी./पी.डी.सी. की सुविधा अपीलों को दायर करने के समय उपलब्ध नहीं होगी । "

5. उपर्युक्त पैरा 1 में वर्णित अधिसूचना की अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित बनी रहेंगी ।

अतल चतर्वेदी संयक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2000

Subject :—Garment and Knitwears Export Entitlement (Quota) Policy (2000—2004), in respect of countries where such exports are covered by restraints under the provisions of the Agreement on Textiles and Clothing.

No. 1/133/2000-Exports-I.— 1. Attention is invited to Notification No.1/128/99Exports-I dated 12th November, 1999, which was amended subsequently by Notifications of even number dated 10th December, 1999 and 7th February, 2000 and the Notification No.1/68/2000 dated 13th June 2000 on the above mentioned subject. It has been decided to further amend the Notification as follows.

2. Sub-para 12 (i) shall be substituted by the following:-

(i) "EMD shall ordinarily be furnished by way of Demand Draft, FDR unilaterally encashable by AEPC or Bank Guarantee. However, Legal Undertaking or Post Dated Cheques will also be accepted as EMD till 31.12.2001 in systems other than FCFS, subject to the conditions stipulated below:"

3. Sub paras 12 (ii) to (v) shall be substituted by the following :-

Legal Undertaking (LUT)/Post Dated Cheques (PDC)

(ii) An Export House/Trading House/Star Trading House/Super Star Trading House/Public Sector Undertaking/Manufacturer Exporter who has not been penalised by way of forfeiture order under this Allotment Policy or the previous Allotment Policy (1997-99) and has entitlements of not less than 25,000 pieces for all country-categories taken together under the PPE, NQE and NIE systems (including PPT, NQT) may submit LUT/PDC in place of EMD/BG, for extension and revalidation of the entitlements subject to the following conditions:-

(a) If the DG, AEPC raises a claim, in terms of the Export Entitlement Distribution Policy, for any forfeiture amounts in respect of entitlements covered by LUT,

the exporter concerned who has submitted the LUT, would have to remit the amounts so claimed by the DG, AEPC within a period of 90 days from the date of such claim without demur or protest, failing which the exporter shall not be eligible to apply for or obtain any certification of shipping bills, transfer of Entitlements or return of EMD/BGs in any system until the amounts are remitted and the DG, AEPC decides to reinstate these facilities for the exporter.

(b) The facility of LUT/PDC will be available to those exporters who remit the forfeiture amount covered under LUT within the stipulated period of 90 days or their post dated cheque is not dishonoured on deposit for any reason whatsoever or have filed appeals and have obtained stay after submission of equivalent amount of BG/FDR/DD or have got the decision of the appeal in their favour.

(iii) If the post dated cheque is dishonoured on deposit for any reason, the quantities extended against such cheques would be debited to any present or future entitlements of the concerned exporter and he will not be allotted any future entitlements until the amount covered by the forfeiture is remitted by way of Demand Draft.

(iv) The Post Dated Cheques should be dated 1st June of the year following the year of allotment and shall be valid for presentation during period of 6 months from that date.

(v) The stipulation relating to release/forfeiture of the LUT/PDC would be the same as applicable to the other forms of EMD/BG.

4. The following Sub-para 16(xi) shall be added after sub-para 16(x) :-

"Appeals under this para can only be filed if the exporter concerned covers the amount of forfeiture by BG or FDR or DD. Facility of LUT/PDC will not be available at the time of filing the appeals."

5. All other terms and conditions of the Notification mentioned in Para 1 above will remain unchanged.

ATUL CHATURVEDI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.